

ई-अन्नदाता कल्याण एवं विकास फाउंडेशन की आदर्श उपविधियां

1. नाम और मुख्यालय

ई-अन्नदाता कल्याण एवं विकास फाउंडेशन

पीरनगर गाजीपुर

2. कार्य क्षेत्र

इस समिति का कार्य क्षेत्र पूरे भारत के समस्त प्रदेशों में सम्पूर्ण जिलाके सभी ब्लॉक/ तालुका के ग्राम सभा / ग्राम सभाओं तक सीमित होगा।

3. लक्ष्य

समिति के सदस्यों एवं किसानों को सौ प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराना तथा 2047 तक उन्हें गौरवान्वित महसूस कराना है

उद्देश्य

4- (क) समिति का मुख्य उद्देश्य कृषकों विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों, कृषक श्रमिकों, एवं कृषक आश्रित महिलाओं को समन्वित ऋण (integrated credit) देकर तथा अन्य सेवायें एवं सुविधायें जो उनको रोजगार, उत्पादन एवं आय बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराकर तथा उपभोक्ता सामग्री के वितरण के लिए सेवायें संगठित करके, सहायता करना है।

(ख) उपरोक्त मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति निम्नलिखित कार्यों में से एक या अधिक कार्य करेगी और अपने कार्य क्षेत्र की अन्य संस्थाओं से समन्वय करेगी तथा जहां आवश्यक हो, उनके एजेंट के रूप में कार्य करेगी।

1- सदस्यों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण मुख्यतः उत्पादन कार्यों के लिए उपलब्ध कराना।

2- कृषि सम्बन्धी उपकरणों जैसे उर्वरक, बीज, खाद, यंत्र, पशु चारा, कीटनाशक दवायें, मत्स्य व्यवसाय उपकरण, लघु एवं कुटीर उद्योगों के परिचालन के लिये कच्चे माल एवं मशीन तथा उपकरणों तथा दवाओं की घरेलू आवश्यकताओं एवं अन्य पूर्ति सामग्रियों को प्राप्त करना, क्रय करना तथा सदस्यों को उपलब्ध कराना।

3- सदस्यों की कृषि उपज, दुग्ध उत्पादन, पशु पालन तथा मत्स्य व्यवसाय की उत्पादित वस्तुओं तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संग्रह, क्रय तथा विक्रय का सहकारी क्रय-विक्रय समितियों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा या स्वयं इस प्रकार विषय का प्रबन्ध करना जिससे सदस्यों को उनकी वस्तुओं का अधिक से अधिक मूल्य मिले।

- 4- कृषि दुग्ध एवं पशुपालन सम्बन्धी उत्पादनों के लिए प्रक्रियात्मक इकाइयों को प्रोत्साहन देना, स्वयं लगाना अथवा किराये पर लेकर चलाना ।
- 5- कृषि सेवा कार्यों, सदस्यों के हित के लिये कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, बुल ड्रोजर, स्प्रेयर एवं पम्पसेट आदि को क्रय करके या किराये पर प्राप्त करके कृषि सेवा कार्यों की व्यवस्था करना तथा कृषि कार्य के लिये अन्य सेवाओं की व्यवस्था करना ।
- 6- सदस्यों के पशुधन के उत्थान हेतु उन्नत पशुओं आदि की सेवाएं उन्हें स्वयं रखकर अथवा अन्यत्र से उपलब्ध कराना तथा आदर्श दुग्धशाला आदि चलाना अथवा अपनी सहायता से चलवाना ।
- 7- सदस्यों के कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग उपकरण की बिक्री हेतु उत्पादन अथवा कृषि में उपभोग होने वाले विक्रय हेतु उपकरण अथवा समाज के सामान्य हित में आने वाली वस्तुओं के भण्डारण की सुविधा के लिए सदस्यों के हेतु निजी गोदाम बनवाना तथा किराये पर लेना ।
- 8-आदर्श फार्म के रूप में कृषि फार्मों को चलाने हेतु तथा कृषि के आधुनिक ढंग का प्रसार करने हेतु भूमि क्रय करना, अधिगृहीत करना अथवा पट्टे पर लेना ।
- 9- सदस्यों को मौसमी कारोबार दिलाने हेतु सरकार, स्थानीय निकायों अथवा व्यक्तियों के साथ संविदायिक सम्बन्ध स्थापित करके सड़कें बनवाने, इमारतों का निर्माण एवं मरम्मत कराने, कुयें, तालाब तथा नहरें खुदवाने और सिंचाई के कार्यों को हाथ में लेना ।
- 10- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं इत्यादि को गठित करना, पूरी करना तथा स्वयं चलाना साथ ही ड्रोन के माध्यम से फसलों की सिंचाई, सुरक्षा, कीटनाशक व उर्वरकों का छिड़काव करना ।
- 11- सदस्यों में साधारणतः मितव्ययता, आत्म सहायता तथा सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना ।
- 12- उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार शाखायें, डिपो, क्रय-विक्रय केन्द्र, शोरूम तथा कारखाने खोलना ।
- 13- सदस्यों के हित के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति करके तथा प्रदर्शन व आदर्श कृषि फार्म चलाकर कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध करना ।
- 14 सदस्यों तथा असदस्यों जिनमें सहकारी तथा व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थायें तथा शासन सम्मिलित होंगे, से निक्षेप तथा ऋण लेकर पूंजी एकत्र करना ।
- 15-समिति के कार्य क्षेत्र में कार्यरत भूमि विकास बैंक, क्रय-विक्रय समिति तथा प्रक्रिया समिति के एजेण्ट के रूप में दीर्घकालीन ऋण के वितरण तथा वसूली, कृषि उपकरण तथा उपभोक्ता सामग्री की आपूर्ति तथा सदस्य की कृषि उपज एवं दुग्ध, अण्डा आदि व्यवसाय से उत्पादन के विक्रय हेतु जैसा भी हो, कार्य करना ।

गौण उद्देश्य

- 16- वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति से साधारणतया ऐसे अन्य कार्य करना जो सदस्यों के सामान्य हित को बढ़ावा देते हों तथा जिनसे क्षेत्र तथा उपरोक्त उद्देश्यों की बहुमुखी उन्नति हो ।
- 17- समिति के सदस्यों व किसानों के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ जैसे- ई-अन्नदाता कार्ड सम्मानित पहचान अभियान, ई-अन्नदाता जैविक एवं प्राकृतिक खेती संवर्धन अभियान, ई-अन्नदाता आश्रित बेरोजगार उन्मूलन अभियान, ई-अन्नदाता अद्वितीय चिकित्सकीय परामर्श अभियान, ई-अन्नदाता गौरवान्वित अभियान 2047 ई- अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान, ई-अन्नदाता मंडी (फसल संवर्धन)

कार्यक्रम, ई-अन्नदाता सम्मान मेला, बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर एंड फार्मर ग्रीवेंस, ई-अन्नदाता कैंटीन, उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम), मौसम पूर्वानुमान आदि योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कराना।

सदस्यता

5- समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) साधारण सदस्य :

(1) व्यक्ति

(2) राज्य सरकार

(ख) नाम मात्र सदस्य :

यह वित्तपोषण बैंक जिससे समिति निबन्धक की अनुमति से ऋण ले, समिति का नाम मात्र सदस्य हो सकता है। ऐसे सदस्यों को भी 500 रु. प्रवेश शुल्क देना होगा।

6- कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित्त का हो और अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिए अनर्ह न हो, अनुमुक्त दिवालिया न हो, समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत रहता हो या स्थायी रूप से व्यापार करता हो या भूमि का स्वामी हो या कृषि करता हो, समिति का साधारण सदस्य बन सकता है। मृत सदस्यों के नाबालिग उत्तराधिकारी भी सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु उनको ऋण केवल संरक्षकों के माध्यम से ही दिया जा सकता है।

7- राज्य सरकार समिति की सदस्य हो सकती है, यदि वह समिति के उतने मूल्य के अंश, जो कि संचालक मण्डल तथा राज्य सरकार के मध्य निश्चित हो, क्रय करने व उनका पूरा मूल्य चुकाने को तैयार हो।

8- निबन्धक की सामान्य अथवा स्पष्ट स्वीकृति के बिना किसी अन्य प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति का सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

9- सदस्यता के प्रार्थना पत्र समिति द्वारा निर्धारित रूप-पत्र, पर यदि कोई हो, रु० 500 रु. प्रवेश शुल्क के साथ समिति के सचिव को दिया जायेगा। सचिव का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रार्थना पत्र को शीघ्रातिशीघ्र संचालक मण्डल के सम्मुख इस सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु रखें।

10- संचालक मंडल इस सम्बन्ध में सदस्यता का आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर नाममात्र सदस्य की दशा में तथा किसी अन्य दशा में 35दिन में आवश्यक निर्णय लेगा तथा निर्णय की तिथि से 7 दिन में प्रार्थी को निर्णय से सूचित करेगा जब तक कि इस अवधि में ऐसा करना अनिवार्यनीय परिस्थितियों में सम्भव न हो। यदि सदस्य के आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर कोई निर्णय नहीं लिया या सूचित किया गया हो तो यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित सदस्य का आवेदन पत्र अस्वीकार हो गया है।

11- प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को 500 रु. प्रवेश शुल्क देना होगा, जिसे किसी भी दशा में सदस्य वापस पाने का अधिकारी न होगा।

12- सदस्य बनने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह वर्तमान उपविधियों और उसकी सदस्यता के काल में उनमें नियमानुसार किये गये संशोधनों या परिवर्तनों से बाध्य रहेगा। ऐसे घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होंगे। जो व्यक्ति समिति के निबन्धन के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण सदस्य बन चुका है उसे भी समिति के निबन्धित होने के बाद एक माह के अन्दर ऐसे घोषणा पत्र पर निष्कासन के आतंक से हस्ताक्षर करने होंगे।

13- कोई व्यक्ति सदस्यता के किन्हीं अधिकारों का उपयोग न कर सकेगा जब तक कि वह उपरोक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर देगा और जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो नियमों तथा इन उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

14- समिति का कोई सदस्य यदि वह समिति का ऋणी नहीं है या वह किसी ऐसे ऋण का, जो अभी चुकता नहीं हुआ है, जामिन नहीं है, समिति को एक मास का नोटिस देकर समिति की सदस्यता से पृथक् हो सकता है। नोटिस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है

15- (क) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है यदि :

1-उसमें सदस्यता के लिये अधिनियम, नियमों और उपविधियों में अपेक्षित अर्हतायें न रही हों या उसने कोई अयोग्यता अर्जित कर ली हो।

2- वह अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों का उलंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।

3-वह विकृत चित्त का हो जाये।

(ख) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है:

1- यदि उसने समिति की किसी निधि या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या समिति की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई हो और ऐसे अपराध के लिये भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन दण्डित किया गया हो। प्रतिबन्ध यह है कि वह दण्डादेश के विरुद्ध अपील में छोड़ दिये जाने के पश्चात्, उक्त आदेश के अधीन सजा काटने के पश्चात् या अर्थ दण्ड का भुगतान करने के पश्चात् जैसी भी दशा हो उक्त समिति या किसी भी अन्य समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह होगा।

2- यदि उसने समिति की उपविधियों का उलंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचाई हो।

3- यदि समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा गलत पाई जाय या किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण दोषपूर्ण हो और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे समिति को आर्थिक या विशेष हानि अथवा अन्य कठिनाइयां हुई हों।

16- किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उपरोक्त उपविधि के अधीन हटाना या निकालना हो, संचालक मण्डल नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से यथास्थिति, हटा या निकाल दिया जाय। नोटिस का उत्तर निर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाय अथवा प्राप्त उत्तर संचालक मण्डल की राय में असंतोषजनक हो तो उक्त सदस्य संचालक मण्डल द्वारा उपरोक्त उपविधियों में उल्लिखित नोटिस की अवधिकी समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प से यथास्थिति हटा दिया जायगा यानिकाल दिया जायगा। ऐसे प्रयोजन के लिये बुलाई गई संचालक मण्डल की बैठक की कार्य सूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भी भेजी जायेगी, जिसे हटाना या निकालना हो और सम्बद्ध सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष यदि वह ऐसा करना चाहे, स्वयं अपने बारे में कहने का अधिकार होगा।

17- उपरोक्त आधार पर निकाले हुए सदस्यों को निबन्धक को अपील करने का अधिकार होगा।

18- उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत हटाया या निकाला गया समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, 2 वर्ष की अवधि तक समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से

तीन वर्ष की अवधि के लिये समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसके संचालक मण्डल में निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी पात्र न होगा।

19- किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जायेगी:

- (1) उनकी मृत्यु होने, या
- (2) समिति से हटाये जाने या निकाले जाने, या
- (3) उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने, या
- (4) उसके अंशों के निवृत्त होने या स्थानान्तरण पर, अथवा उसके द्वारा धृत सभी अंशों के जब्त कर लिये जाने पर,

दायित्व

20- समिति के समापित हो जाने की दशा में राज्य सरकार तथा व्यक्तिगत सदस्यों का दायित्व अंशों के सम्बन्ध में उनके अंकित मूल्य तक सीमित रहेगा।

पूंजी

21- समिति की पूंजी निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

- (1) अंश पूंजी।
- (2) ऋण और अमानते।
- (3) अनुदान और दान।
- (4) रक्षित निधि, अन्य निधियां तथा लाभ।
- (5) प्रवेश शुल्क।

अंश, उनका मूल्य तथा भुगतान

22- (1) समिति की अधिकृत अंश पूंजी संख्या में 10 रुपया प्रति अंश के हिसाब से 'अ' श्रेणी के तथा 1000 रुपया प्रति अंशों के हिसाब से 'ब' श्रेणी के अंशों से बनेगी।

- (2) 'अ' श्रेणी के अंश व्यक्तिगत सदस्यों को मिल सकेंगे तथा 'ब' श्रेणी के अंश केवल राज्य सरकार को ही उपलब्ध होंगे।
- (3) 'अ' श्रेणी के अंश का मूल्य एक या एक से अधिक किश्तों में जैसा संचालक मण्डल निश्चित करें सदस्यों द्वारा देय होगा, परन्तु सदस्यों को अधिकार होगा कि यदि वह चाहें तो अंशों का पूरा मूल्य एक साथ जमा कर दें।

(ख) 'ब' श्रेणी के अंश का मूल्य एक ही किश्त में राज्य सरकार द्वारा देय होगा।

(4) समिति 'ब' श्रेणी का अंश ऐसे समय और इस प्रकार वापिस करेगी जैसा कि राज्य सरकार तथा समिति के बीच तय हो।

(5) प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश अवश्य क्रय करना होगा, परन्तु कोई व्यक्तिगत सदस्य कुल अंश की पूंजी के ऐसे भाग से जो उसके 1/5 तथा जो धनराशि नियत की जाये से अधिक हो क्रय न करेगा और न धारित करेगा।

अंश की जब्ती

23 - यदि कोई सदस्य भुगतान के लिए निर्धारित अन्तिम दिन तक किसी अंश के सम्बन्ध में देय कोई धन नहीं चुकाता तो उसके बाद संचालक मण्डल किसी भी ऐसे सदस्य को नोटिस देकर आदेश दे सकता है कि वह निर्धारित स्थान और समय पर उक्त देय धन को व्याज सहित चुका दे। नोटिस में यह भी उल्लेख होगा कि निर्धारित समय और स्थान पर इसका भुगतान न होने पर वह अंश जिस पर उक्त धन देय है, जमा किये गये सारे धन सहित जब्त किये जा सकते हैं और उन अंशों से सम्बन्धित सदस्यता के अधिकार समाप्त हो जायेंगे। इसभांति जब्त किये गये अंश जब्ती की नोटिस की तिथि से 3 मास के अन्दर तक सारा बकाया और प्रति अंश 1000 रु. नवीनीकरण शुल्क देकर पुनः जारी कराये जा सकते हैं। नवीनीकरण के लिए उपरोक्त 3 मास की उल्लिखित अवधि की समाप्ति के उपरान्त इस भांति जब्त की गयी धनराशि रक्षित निधि में जमा कर दी जायगी।

24 - सचिव और संचालक मण्डल के एक सदस्य से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र कि अंशों की जब्ती संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा हुई है, उसमें निर्दिष्ट तथ्य का अन्तिम प्रमाण होगा।

25- संचालक मण्डल द्वारा जब्त घोषित प्रत्येक अंश उसके बाद समिति की सम्पत्ति होगा और उसके बाद किसी भी समय उन शर्तों और ढंगों से जिन्हें संचालक मण्डल उचित समझे उसकी बिक्री अथवा पुनर्निर्गमन या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण किया जा सकता है

26- जिस सदस्य का अंश जब्त किया गया है, वह जब्ती पर ध्यान दिये बिना, जब्ती के समय अंश के आधार पर बाकी सारे धन तथा अंशों की जब्ती के सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये समस्त व्ययों के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

27 - जब तक जब्त किये गये अंश उपरोक्त विधि से पुनः विक्री या वितरित या अन्य ढंग से निस्तारण नहीं किये जाते तब तक संचालक मण्डल की स्वेच्छा और प्रस्ताव से जब्ती के समय समिति को प्राप्त सारी धनराशि निर्धारित समय के अन्दर चुकाने पर रियायत के तौर पर जब्ती से उन्मुक्ति दी जा सकती है।

सदस्य के उत्तराधिकारी का नामांकन

28- समिति का कोई सदस्य ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में समिति की पूंजी में उसका अंश या हित संक्रमित किया जायगा अथवा उसके मूल्य का या समिति द्वारा उसे देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायेगा परन्तु ऐसे नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या सदस्य द्वारा धारित अंशों की संख्या से अधिक न होगी। नामांकन न किये जाने की दशा में सदस्य का अंश या समिति में अन्य हित ऐसे व्यक्ति को चुका दिये जायेंगे या हस्तांतरित कर दिये जायेंगे जिसे संचालक मण्डल नियमों के अधीन उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि समझे।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई हस्तान्तरण तब तक नहीं होगा जब तक कि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि यथास्थिति समिति का सदस्य न बना लिया जाय।

29- जबकि कोई सदस्य अपने द्वारा घृत अंशों के सम्बन्ध में एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करें तो वह जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण अंशों के रूप में प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली या संक्रमित की जाने वाली धनराशि को उल्लिखित करेगा।

सदस्य द्वारा किया गया हर नामांकन दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित तथा लिखित होगा और सदस्य के जीवन काल में समिति को सौंप दिया जायेगा। सदस्य द्वारा किया गया नामांकन इसी भांति अन्य नामांकन करके रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।

30- अंश के स्पष्ट कानूनी स्वत्वाधिकारी द्वारा किये गये या होने वाले हस्तांतरण को पंजीबद्ध करने या किसी हस्तांतरण को क्रियात्मक रूप देने या ऐसा ही कार्य करने के परिणामस्वरूप समिति पर उन व्यक्तियों के प्रति जो अंश में किसी सामान्य अधिकार अथवा हित का दावा करते हों, कोई उत्तरदायित्व न होगा भले ही ऐसे अंश पर समिति को इस भांति के अधिकार व हित का दावा करने वाले द्वारा नोटिस मिल चुकी हो।

उधार लेना

31- (क) समिति का अधिकतम दायित्व वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में वित्त पोषण बैंक जिससे वह सम्बद्ध है और उसकी ऋणी है उसके अनुमोदन से निश्चित की जायेगी। यदि समिति किसी ऐसे बैंक से सम्बद्ध अथवा ऋणी नहीं है, तो इसका अधिकतम दायित्व निबन्धक के अनुमोदन से निश्चित होगा, परन्तु निबन्धक की अनुमति के बिना समिति का अधिकतम दायित्व उसकी निजी पूंजी के दस गुने से अधिक निश्चित न होगा।

(ख) उपरोक्त ढंग से निश्चित अधिकतम दायित्व के अभ्यधीन समिति उस सीमा तक और उन शर्तों पर जिन्हें संचालक मण्डल समय-समय पर वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की अनुमति से निश्चित करे, सदस्यों और गैर सदस्यों से विभिन्न प्रकार की अमानतें जैसे चालू बचत, सावधि, आवांति क इत्यादि लेकर धन एकत्र कर सकती है। समिति प्रामिजरी नोट जारी करके अथवा भूमि, भवन या समिति की अन्य सम्पत्ति बन्धक रखकर अथवा ऐसे अन्य साधन से भी जिसे संचालक मण्डल वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की अनुमति से उपयोगी समझे, धन एकत्र कर सकती है।

संगठन तथा प्रबन्ध

32- समिति के कार्यों का प्रबन्ध निम्नलिखित संस्थाओं और अधिकारियों के हाथ में होगा :

- (क) सामान्य निकाय,
- (ख) संचालक मण्डल,
- (ग) सभापति / उप-सभापति,
- (घ) सचिव।

(क) सामान्य निकाय

33- संचालक मण्डल समिति के व्यक्तिगत सदस्यों की एक सूची उनके पूरे पते के साथ दो भागों में रखेगी। पहले भाग में लघु कृषक, सीमान्त कृषक तथा कृषक श्रमिक होंगे जो (क) सूची कहलायेगी और दूसरे भाग में अन्य व्यक्तिगत सदस्य होंगे जो (ख) सूची कहलायेगी।

34- समिति की सामान्य निकाय में निम्नलिखित होंगे :

(अ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट 2 संचालक, यदि कोई हों।

(ब) समस्त व्यक्तिगत सदस्य यदि उनकी संख्या 250 से अधिक नहीं है। ऐसे सदस्यों की संख्या 250 से अधिक होने की दशा में ऐसे सदस्यों द्वारा निम्नलिखित आधार पर चुने गये प्रतिनिधियों से :

नम्बरी ग्राम में सदस्यों की संख्या	चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या	कालम (2) में चुने जाने वाले सदस्यों में से 'क' सूची के सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या
1	2	3
(1) यदि सदस्य संख्या 50 अथवा 50 से अधिक, किन्तु 100 से कम है।	2	1
(2) यदि सदस्य संख्या से 100 अथवा इससे अधिक, किन्तु 200 से कम है।	6	4
(3) यदि सदस्य सं० 200 अथवा 200 से अधिक, किन्तु 300 से कम है।	9	6
(4) यदि सदस्य सं० 300 अथवा 300 से अधिक, किन्तु 400 से कम है।	13	9
(5) यदि सदस्य सं० 400 अथवा 400 से अधिक, किन्तु 500 से कम है।	17	12
(6) यदि सदस्य सं० 500 अथवा 500 से अधिक है।	---	प्रत्येक 500 सदस्यों पर 20 प्रतिनिधि चुने जायेंगे जिनमें से 14 'क' सूची के प्रतिनिधि होंगे।

प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक गांव एक निर्वाचन क्षेत्र माना जायेगा तथा यह चुनाव निबन्धक द्वारा निर्धारित नियम और विधि के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा।

35 - सामान्य निकाय की बैठक निम्न दो प्रकार की होगी :

(क) वार्षिक और

(ख) अन्य सामान्य बैठक :

(क) वार्षिक सामान्य बैठक

(अ) समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किये जाने और लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र 30 नवम्बर तक चाहे लेखा परीक्षण किया गया हो या नहीं, अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक 30 नवम्बर के पश्चात् भी समिति को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दे सकते हैं और उस दशा में वार्षिक सामान्य बैठक इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर होगी। वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे:

(ब) (1) संचालक मण्डल द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्य-कलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन।

(2) नियमों और समिति की उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो, तथा ऐसे चुने गये संचालकों में से सभापति और उप-सभापति का चुनाव ।

(3) गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र / बैलेन्स शीट और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जबकि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

(4) गत सहकारी वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा में जब नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

(5) आगामी सहकारी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना ।

(6) शुद्ध लाभ का निस्तारण ।

(7) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार ।

(8) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाय।

ख) किसी बात के होते हुये भी सचिव की अनुपस्थिति संचालक मण्डल के सभापति का यह कर्तव्यहोगा कि वह उपरोक्त उपधारा 'अ' के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

(ख) अन्य सामान्य बैठकें

36 - संचालक मण्डल समिति के कार्य सम्पादन के लिये जब-जब आवश्यक हो समिति सामान्य निकाय की सामान्य बैठक, जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा, बुला सकता है।

37- संचालक मण्डल निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अध्याचन प्राप्त हो जाने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति की सामान्य निकाय की सामान्य बैठक, जिसे असाधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा, बुलायेगा। संचालक मण्डल के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर, जिसको वह निर्देश दें, साधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा ।

38- सदस्यों द्वारा असाधारण सामान्य निकाय की बैठक के मांग-पत्र पर प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य लिखा होना चाहिये और उसे समिति के पंजीबद्ध कार्यालय में दे देना चाहिये ।

39- सामान्य निकाय की बैठक के लिये कम से कम 15 दिन की सूचना आवश्यक होगी। आगे बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त बैठक की नोटिस, दिन, स्थान और समय तथा उसमें की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देते हुये हर सदस्य को सूचना निम्नलिखित किसी भी प्रकार से दी जायगी :

(क) समिति के कार्य क्षेत्र में डिडौरा पिटवाकर ।

(ख) समिति के कार्य क्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान तथा समिति के कार्यालय पर सूचना की नोटिस चिपका कर ।

(ग) नोटिस की किताब को सदस्यों के पास भेजकर उनके हस्ताक्षर कराकर या नोटिसों को सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग से सदस्यों को डाक द्वारा भेज कर ।

यदि नोटिस द्वारा सूचना देने में कोई त्रुटि रह जाय तो सामान्य निकाय की कार्यवाही अवैधानिक न होगी।

40- सदस्यों की मांग पर हुई सामान्य निकाय की बैठक में बैठक की सूचना में निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार न होगा। अन्य सभाओं में सभापति उन विषयों पर भी विचार की अनुमति दे सकता है जो विचाराधीन विषयों में सम्मिलित नहीं हैं।

41- सामान्य निकाय की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) 'अ' श्रेणी के सदस्यों अथवा प्रतिनिधियों, जैसी भी दशा हो, के एक चौथाई से होगी।

42- यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उस तिथि तथा समय के लिये स्थगित समझी जायेगी जैसा उपस्थित सदस्य निश्चित करें।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सदस्य / प्रतिनिधियों के अध्याचन पर बुलाई गई हो तो वह निश्चित समय से एक घण्टे के भीतर गणपूर्ति के अभाव में विघटित हो जायेगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त दोनों व्यवस्थाओं में बैठक की गणपूर्ति तब तक पूरी नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्य 'क' सूची में से न होंगे।

बैठक का सभापतित्व

43- प्रत्येक बैठक का सभापतित्व सभापति करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुनेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उपसभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

बैठक में विषयों का निस्तारण

44- (क) किसी बैठक के समक्ष लाये गये विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि संचालक मण्डल का कोई सदस्य, किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो, जब तक कि अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो। किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाय तो सभापति संकल्प पर मतदान करा सकता है।

(ग) प्रत्येक सदस्य, प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

संचालक मण्डल

45 - समिति का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल में निहित होगा। संचालक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो संचालक, यदि कोई हों।

(2) वित्त पोषण बैंक द्वारा मनोनीत एक संचालक, यदि कोई हो।

(3) लघु कृषक विकास संस्था / सीमान्त कृषक तथा कृषक श्रमिक संस्था जैसी भी स्थिति हो का मनोनीत एक संचालक, यदि कोई हो।

(4) (क) 'अ' श्रेणी के व्यक्तिगत सदस्यों की 'क' सूची के सदस्यों / प्रतिनिधियों में से 5 चुने हुए संचालक।

(ख) 'अ' श्रेणी के व्यक्तिगत सदस्यों की 'ख' सूची के सदस्यों / प्रतिनिधियों में से दो चुने हुए संचालक।

प्रतिबन्ध यह है कि इन उपविधियों के निबन्धन के उपरान्त समिति का संचालक मण्डल, जिसमें सभापति भी सम्मिलित है, निबन्धक द्वारा तीन के लिए नामांकित किया जायेगा।

46-संचालक चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हता

यदि कोई व्यक्ति समिति के संचालक मण्डल का न तो सदस्य चुना जायेगा और न बना रहेगा,

(1) (क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो,

(ख) वह दिवालिया घोषित हो,

(ग) वह विकृत चित्त, बहरा, गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो,

(घ) उसे निबन्धक की राय में, नैतिक पतन सम्बन्धी अपराध के लिये दण्ड दिया गया हो और ऐसा दण्ड अपील में रद्द न किया गया हो।

(ङ) वह, या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा बिना समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो जैसा समिति करती हो।

(च) वह अधिनियम, या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करे।

(छ) वह समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो।

(ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो।

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि

के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो।

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी इकाई ने कोई आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो।

(ट) यदि वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में कम से कम छः माह से समिति का बकायादार हो।

(ठ) वह तीन अन्य समितियों की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो।

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी समिति की सेवा अथवा निर्गमित निकाय से कपट, दुराचरण, अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो।

(ढ) वह किसी ऐसी समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो कि समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रामित न किया गया हो ।

(ण) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो ।

(त) वह अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो ।

(2) संचालक मण्डल का सदस्य यदि वह संचालक मण्डल की तीन लगातार बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहता है तो वह संचालक मण्डल का सदस्य न रहेगा।

(3) उपरोक्त खण्ड 2 के उपबन्ध संचालक मण्डल के नाम निर्दिष्ट या पदेन संचालक पर लागू नहीं होंगे ।

(4) कोई व्यक्ति जो समिति के संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े, किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाये, आमेलन या नाम निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उक्त उपविधि के खण्ड (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगी :

(अ) उक्त उपविधि के खण्ड (ज) में निर्धारित अनर्हताएं संचालक मण्डल के किसी नाम निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू न होंगी।

(ब) उक्त उपविधि के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में निर्धारित अनर्हताएं दोष सिद्धि के अधीन, अर्ध-दण्ड देने या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने या पदच्युत आदेश के यथा स्थिति पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायगी।

47-ज्यों ही संचालक मण्डल का कोई सदस्य नियमों अथवा उपविधियों में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो संचालक मण्डल उस तथ्य पर इसी उद्देश्य के लिये बुलायी गयी बैठक में विचार करेगा । ऐसी बैठक की कार्य-सूची की एक प्रति उस संचालक को जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्ति अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता /अनर्हताओं के कारण संचालक मण्डल की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायगी। तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति को संचालक मण्डल अथवा उसकी किसी उप-समिति की बैठक में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी। ऐसे व्यक्ति का पद रिक्त घोषित किया जायगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम और नियमों के अधीन मध्यस्थ निर्णय करा सकता है।

48-उपविधि 47 के खण्ड (2) में अर्जित अनर्हता की दशा में उपविधि 45 में वर्णित संकल्प पारित किया जा सकता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है, परन्तु उसे सदस्य की हैसियत से कार्य करने से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि उसकी अनुपस्थिति उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत पर्याप्त कारण से हुई घोषित की गयी है।

संचालक मण्डल का कार्यकाल

49 - (अ) व्यवस्था के समिति के संचालक मण्डल का कार्यकालतीन सहकारी वर्ष होगा, जिसके अन्तर्गत उसके निर्वाचन का सहकारी वर्ष भी है।

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सदस्य तब तक पद ग्रहणकिये रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी अधिनियम और नियमों के उपखण्डों के अधीन निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट न हो जाये ।

स्पष्टीकरण :- किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल निश्चित करने के लिये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष में निर्वाचन के बाद कितनी अवधि शेष सहकारी वर्ष जिसमें निर्वाचन हुआ, पूरा एक वर्ष समझा जायगा।

(2) कोई भी व्यक्ति संचालक मण्डल में निर्वाचित किये जाने के लिये पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगातार कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि समिति के नियम के अधीन संगठित संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में धारित पदावधि की गणना पात्रता के प्रयोजनार्थ उपविधि के अधीन अवधि की गणना करने के लिये नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण :- (1) यदि नियम के लागू होने के समय कोई व्यक्ति समिति के संचालक मण्डल का सदस्य है और नियमों के लागू होने के पश्चात् वह पुनः संचालक चुन लिया जाता है अथवा आमेलित किया जाता है तो यह समझा जायगा कि वह ऐसे निर्वाचन और आमेलन के पूर्व एक कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया था।

(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य कम से कम लगातार तीन सम्पूर्ण सहकारी वर्ष तक संचालक मंडल का सदस्य न रहने के पश्चात् पुनः संचालक मंडल का सदस्य चुने जाने के लिये पात्र होगा।

नाम निर्दिष्ट संचालक का कार्यकाल

50- नाम निर्दिष्ट कोई संचालक अधिनियम और नियमों के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रशाद पर्यन्त पदासीन रहेगा।

संचालकों में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति

51- यदि संचालक मण्डल में निर्वाचित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिकस्थान रिक्त हो तो वह संचालक मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा शेष अवधि के लिये उन व्यक्तियों में से जो संचालक मण्डल की सदस्यता के लिये पात्र हों आमेलन द्वारा पूरा किया जायेगा।

संचालक मण्डल की बैठक

52- (क) संचालक मण्डल, समिति का कार्य करने के लिये बैठक कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है और जैसा वह उचित समझे बैठक का नियंत्रण कर सकता है। संचालक मण्डल की किसी बैठक में उठे प्रश्नों पर निर्णय बहुमत द्वारा होगा। समान मत होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) यदि किसी बैठक में कोई सदस्य बहुमत की राय से मतभेद है, तो वह अपने मतभेद को कार्यवाही पुस्तिका में लिपिबद्ध करने के लिये आग्रह कर सकता है जिसे सभापति को लिपिबद्ध करना होगा।

संचालक मण्डल की गणपूर्ति

53- संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति पांच संचालकों से होगी। संचालक मण्डल की बैठक के लिये सात दिन का नोटिस आवश्यक होगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में इससे कम अवधि की नोटिस पर भी संचालक मण्डल की बैठक बुलाई जा सकती है।

संचालक मण्डल के अधिकार

54 - समिति के कारोबार का संचालन और प्रबन्ध संचालक मण्डल द्वारा होगा जिसे अधिनियम और नियमों तथा इन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसे सभी समझौते करने, ऐसी सभी व्यवस्था करने, ऐसी सभी कार्यवाहियां करने तथा ऐसे सारे कार्य करने का अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा जो समिति के कार्यों का उचित प्रबन्ध करने तथा जिन उद्देश्यों से समिति की स्थापना हुई है उनकी पूर्ति एवं समिति के हित तथा उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक एवं उचित होंगे।

उपरोक्त उपविधियों द्वारा समर्पित आम अधिकारों की उपेक्षा किये बिना संचालक मण्डल के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे।

- (1) नियमों के अधीन सदस्यों को ऋण या अग्रिम ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन देना जो समय-समय पर निश्चित किये जायें।
- (2) समिति के हेतु ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन जो समय-समय पर निश्चित किये जायें, अमानतें तथा ऋण प्राप्त करना।
- (3) सदस्य भर्ती करना, अंश का आवंटन (allotment) करना तथा अंशों के हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करना।
- (4) वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, संतुलन पत्र अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिये प्राविधान तथा लाभ वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश प्रस्तुत करना।
- (5) नियम १७६ के उपबन्धों का पालन करते हुए समिति का कारोबार चलाने हेतु कोई भूमि या भवन चाहे फ्री होल्ड हो या लीज होल्ड, अथवा अन्य प्रकार की हो, क्रय करना, लीज पर लेना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना।
- (6) समिति के अधीन बने विनियम के अधीन सचिव की नियुक्ति करना, उसे हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।
- (7) समिति के कारोबार के प्रबन्ध में सचिव की सहायता के लिए अधिनियम और नियमों के अधीन अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।
- (8) समिति की नकद धनराशियों और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना।
- (9) समिति द्वारा स्वीकृत या अभ्यथित अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त किसी पट्टे की शर्तों या समझौतों का पालन करना और सारे लगान का समिति की ओर से भुगतान करना।
- (10) समिति की नकद धनराशियों और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा अनुरक्षण और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना।
- (11) यदि आवश्यक हो तो समिति के सभी या किसी भवन, माल अथवा अन्य सम्पत्ति या अन्य प्रतिभूति, सिक्वोरिटी का या तो अलग से या मिलाकर उस अवधि और सीमा तक के लिए बीमा कराना या उसे चालू रखना जिसे संचालक मण्डल उचित समझे और अधिकारके अनुसार किये गये किसी बीमे या बीमा-पत्र (पालिसी) को बेचना अभ्यथित करना, समर्पित करना अथवा उसे चालू न रखना।
- (12) सदस्यों की तथा कृषि पर आधारित उद्योग के उत्पादन की बिक्री हेतु अथवा कृषि में उपभोग होने वाले विक्रय वस्तुओं हेतु अथवा उपभोग सामग्री समाज के सामान्य हित में आने वाली वस्तुओं के भण्डार सुविधा हेतु सदस्यों के हित में गोदाम बनवाना, रखवाना, रखना या किराये पर लेना।

- (13) किसी ऋण या स्वत्व का पारस्परिक निपटारा करना या उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना अथवा किसी ऋणी को अपना ऋण चुकाने का समय देना ।
- (14) ऐसी सारी कार्यवाहियां और वाद जिन्हें संचालक मण्डल चलाना या प्रतिवाद करना आवश्यक या उचित समझे प्रारम्भ करना, चलाना, चालू रखना या प्रतिवाद करना या परस्पर समझौता करना या मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना।
- (15) समिति की ओर से बैंक में तथा अन्य किसी सहकारी संस्था में अंश खरीदना और प्रतिनिधि भेजना।
- (16) कृषि सम्बन्धी वस्तुयें, घरेलू आवश्यकताओं का सामान तथा ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं को रखना जिनके लिये साधारणतया मांग हो और उन्हें इतनी संख्या अथवा मात्रा में रखना कि वह जल्द से बिक सकें ।
- (17) सदस्यों की उपज को सहकारी क्रय विक्रय समिति अथवा ऐसी अन्य समिति द्वारा जिससे यह समिति लिखित वादा करे, बेचने हेतु सदस्यों से इकरारनामा कराना ।
- (18) सदस्यों की कृषि उपज को सहकारी क्रय विक्रय समिति द्वारा विक्री कराने के लिये इकट्ठा करके श्रेणीवार छांट करना तथा क्रय-विक्रय समिति को भेजने के लिये परिवहन का प्रबन्ध करना।
- (19) कृषि यन्त्र तथा उपकरण रखकर या किराये पर लेकर कृषि सेवा कार्य करना ।
- (20) सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता जैसे तकाबी अनुदान आदि का नियमानुसार वितरण व उनकी वसूली की व्यवस्था करना ।
- (21) प्रक्रियात्मक इकाइयां लगाकर अथवा किराये पर लेकर कृषि उपज की प्रक्रिया की व्यवस्था करना ।
- (22) समिति के कार्य के हित में आवश्यकतानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान करना ।
- (23) समिति के कार्य संचालन हेतु उपनियमावली तैयार करना ।
- (24) कार्य क्षेत्र में सदस्यों हेतु कृषि उन्नत कार्यक्रम तैयार करना तथा उसे सम्पादित करना ।
- (25) स्वीकृत बजट के अधीन समिति के कर्मचारियों की संख्या उनके वेतन आदि तथा सेवा शर्तें समिति अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित करना ।
- (26) समिति के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण तैयार करना ।
- (27) समिति के अधीन लिखित रूप से अनुरोध करने पर किसी एक या अधिक लेखों को ऐसे शुल्क पर देना जिसकी स्वीकृति निबन्धक से प्राप्त कर ली है।
- (28) समिति के अधीन समिति के लेखों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये शुल्क निर्धारित करना ।
- (29) उन प्रतिबन्धों और शर्तों के अन्तर्गत जिन्हें संचालक मण्डल समयसमय पर लागू करना उचित समझे तत्कालीन सचिव को कुछ अधिकार और कर्त्तव्य जो संचालक मण्डल को सौंपे गये हैं कार्यान्वित करने के लिये अधिकृत करना ।
- (30) ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल पर आरोपित हों अथवा सामान्य निकाय द्वारा सौंपे जायें।

संचालक मण्डल के कार्य की वैधता

55- संचालक मण्डल के कार्य संचालक मण्डल में रिक्त स्थान या किसी संचालक की योग्यता की त्रुटि पर विचार किये बिना वैध समझे जायेंगे मानों कोई स्थान रिक्त न था और संचालक की योग्यता में कोई त्रुटि न थी।

बैठक का स्थान

56-समिति के सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठक समिति के मुख्यालय पर होगी।

(ग) सभापति / उप-सभापति

57 - (1) सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियन्त्रण पर्यवेक्षण तथा पथ-प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा संचालक मण्डल के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा और आवश्यक परिस्थितियों (संकटकाल) में संचालक मण्डल के सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा। इस बात का निर्णय सभापति स्वयं करेगा कि क्या ऐसी आवश्यक परिस्थिति (संकटकाल) आ गई है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि समिति का कारोबार दृढ़ रूप से और उप-विधियों के अनुकूल चल रहा है।

(2) उप-सभापति नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभापति द्वारा लिखित रूप से प्रदत्त अधिकारों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में वह सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा।

(घ) सचिव

58 - सचिव समिति का कार्यपालक अधिकारी होगा और सभापति व संचालक मण्डल के ऐसे नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए जिनकी व्यवस्था नियमों या उप-विधियों में की गई है। वह :

(1) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होगा।

(2) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा।

(3) संचालक मण्डल द्वारा लगाये गये उपबन्धों के अधीन समिति केलेखों (एकाउन्ट्स) को परिचालन (आपरेट) करेगा।

(4) समिति की ओर से उसके लिये सभी लेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।

(5) समिति की विभिन्न बहियों/रजिस्ट्रों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों औरनिबन्धक या राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नियत कालिक विवरणों-पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय से उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठक बुलायेगा औरऐसी बैठकों के अभिलेखों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा।

(7) ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों या उप-विधियों के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

देख-रेख समिति

59 - समिति के कार्य क्षेत्र की प्रत्येक ग्रामसभा के लिये एक देख-रेख समिति होगी जिसमें सम्बन्धित ग्रामसभा में समिति के सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय के लिये चुने गये सभी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, किन्तु यदि प्रतिनिधियों की संख्या सात से कम हो तो सम्बन्धित प्रतिनिधि उक्त ग्राम सभा में समिति के सदस्यों में से आमेलन द्वारा उक्त संख्या की पूर्ति कर लेंगे।

60-देख-रेख समिति के वह अधिकार और कर्तव्य होंगे जो उसे संचालक मण्डल द्वारा सौंपे जायें।

बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां

61 - सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां उम्र प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक का सभापतित्व करने वाले और समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

भत्ते तथा अन्य सुविधायें

62 - समिति के सभापति/उप-सभापति तथा संचालक मण्डल के सदस्यों को नियमों के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार यातायात भत्तों का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही उपलब्ध होंगी।

ऋण

63- (1) ऋण तथा नकद साख (कैश क्रेडिट) केवल सदस्यों को ही दी जायेगी। सावधि निक्षेपों तथा निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से उनके द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सरकारी तथा न्यासी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा निगम की पालिसी तथा जवाहरात की जमानत पर लोगों को नाम मात्रिक सदस्य बनाकर भी ऋण तथा नकद साख स्वीकृत की जा सकती है।

(2) सदस्यों को ऋण तथा नकद साख संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त प्रस्तर (१) में वर्णित प्रतिभूतियों की जमानत पर समिति के सचिव द्वारा भी, उन शर्तों के अधीन तथा उस सीमा तक जैसा संचालक मण्डल निर्धारित करें, ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

(3) संचालक मण्डल वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति से ऐसे नियम बनायेगा जिनमें ऋण तथा नकद साख देने के उद्देश्य, जमानत, ऋण का काल, व्याजदर आदि का विवरण दिया होगा।

(4) वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति से संचालक मण्डल अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने तथा सदस्यों को ऋण की अदायगी काल में बढ़ती (extension) देने से सम्बन्धित नियम भी बनायेगा।

(5) प्रत्येक सदस्य अपने व्यवसाय जैसे कृषि, दुग्धशाला, कुक्कुटशाला, शूकरशाला, भेड़शाला, गृह उद्योग आदि के उत्पादन को समिति अथवा संचालक मण्डल द्वारा निश्चित अन्य संस्था द्वारा बेचने को बाध्य होगा तथा उसके विक्रय मूल्य से समिति के ऋण अथवा किरात को संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमा तक कटवाकर समिति के ऋण की अदायगी में मुजरा करायेगा।

(6) यदि संचालक मण्डल की समझ में समिति के किसी ऋण अथवा नकद साख का दुरुपयोग हुआ हो तो वह उसे तुरन्त वापस मांगेगा और व्याज सहित उसकी वसूली का प्रबन्ध करेगा। ऐसी दशा में ऋण का काल बीतने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी।

(7) जब दुरुपयोग के कारण ऋण अथवा नकद साख की स्वीकृति के अन्तर्गत संचालक मण्डल द्वारा निरस्त कर दी जायेगी तो सारा ऋण इक्वटा वापस मांगा जायेगा। ऐसी दशा में संचालक मण्डल ऋणी को इस तथ्य से तथा उस पर लगे ऋण तथा वापस मांगे जाने की तिथि तक उस पर वाजिब व्याज से सूचित करेगा। ऐसे पूरे वाजिब दर पर (सरकार के नियमानुसार) प्रति रुपया प्रति मास की दर से ऋण वापस मांगे जाने की तिथि से वसूली की तिथि तक व्याज लिया जायेगा तथा वसूली के लिये तत्काल कदम उठाये जायेंगे।

(8) किसी जामिन की मृत्यु पर अथवा उसकी समिति में सदस्यता समाप्त होते ही मुख्य ऋणी समिति को उसकी सूचना देगा तथा उस पर लगा सारा ऋण व्याज सहित समिति को तुरन्त अदा कर देगा अन्यथा नया प्रोनोट भरेगा जिसमें संचालक मण्डल को मान्य एक या अधिक, जैसा भी आवश्यक हो, नये जामिन होंगे। यदि संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित समय के अन्दर सार ऋण अदा नहीं किया जाता अथवा नया जामिन नहीं दिया जाता, अन्यथा जब अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण लेने वाला सदस्य उसी सम्पत्ति की जमानत पर अन्यत्र से ऋण प्राप्त कर लेता है, अथवा समिति को पहले से रेहन सम्पत्ति बेच देता है जिसके लिये संचालक मण्डल से पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त की हो, अन्यथा जब ऋण की जमानत अपर्याप्त लगे और सदस्य अतिरिक्त जमानत उस समय के अन्दर न दें सके, जो संचालक मण्डल निर्धारित करें, तो ऋण का काल बीतने की प्रतीक्षा किये बिना ही सारा ऋण वापस मांग लिया जायेगा तथा वर्णित वसूली की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे खातों पर भी (सरकार के नियमानुसार) प्रति रुपया प्रति मास व्याज, ऋण वापस मांगे जाने की तिथि से वसूली की तिथि तक, लगाया जायेगा।

(9) यदि कोई सदस्य सदस्यता के लिये अयोग्य हो जाता है और उसकी सदस्यता उपविधियों के अनुसार समाप्त कर दी जाती है, तो ऐसे सदस्य पर वाजिब सारा ऋण या नकद साख, स्वीकृति की शर्तों की परवाह न करते हुये, तुरन्त वापस मांग ली जायेगी तथा उस वाजिब धनराशि की व्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जायेगी। ऐसी वाजिब धनराशि पर पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से व्याज मांगे जाने की तिथि से वसूली की तिथि, तक व्याज लगाया जायेगा।

(10) प्रतिभूतियों के समय-समय पर आवश्यकतानुसार सत्यापन का प्रबन्ध सचिव करेगा। वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन अवश्य किया जायेगा।

(11) संचालक मण्डल के सदस्यों पर लगे हुए ऋण की सूची वार्षिक • सामान्य निकाय की बैठक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु रखी जायेगी।

सदस्यों से वसूली का विनियोजन (appropriation)

64 - जब कोई सदस्य, जिससे समिति को धन पाना है, कोई धन जमा करता है तो उसका विनियोजन निम्नांकित क्रम में होगा :

- (1) अन्य देय धनराशि,
- (2) व्याज,
- (3) मूलधन

सदस्यों के अंशधन आदि पर समिति का प्रभार

65 - समिति को देय किसी ऋण या अदत्त मांग के सम्बन्ध में समिति का प्रभार किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी में अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गई धनराशियों पर तथा किसी सदस्य अथवा विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश, बोनस अथवा लाभों पर होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसीविपरीत बात के होते हुये भी उस सदस्य या उसके दायदों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के नाम में या उन्हें देय किन्हीं धनराशियों में से उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि मुजरा कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वित्त पोषण बैंक का जिससे समिति सम्बद्ध हो, प्रभार उस वित्त पोषण बैंक में समिति द्वारा रक्षित निधि (रिजर्व फण्ड) के रूप में जमा की गई किसी धनराशि पर न होगा, यदि समिति द्वारा लिये गये ऋण की कुल धनराशि में बैंक का अंश 75 प्रतिशत से कम हो, और न उसे समिति के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसी धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्त कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा।

सदस्यों की कृषि तथा घरेलू आवश्यकताओं की आपूर्ति

66- संचालक मण्डल वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति से कृषि तथा घरेलू आवश्यकताओं तथा गृह एवं लघु उद्योग की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु मुख्य वितरक अथवा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिये सहायक नियम बनायेगा।

सदस्यों की उपज का क्रय-विक्रय

67- संचालक मण्डल वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति से सदस्यों की कृषि उपज तथा दुग्धशाला, कुक्कुटशाला, शूकरशाला, भेड़शाला अथवा गृह तथा लघु उद्योग के उत्पादन के मुख्य व्यवसायी या एजेंट के रूप में क्रय-विक्रय हेतु सहायक नियम बनायेगा।

गोदाम

68 - (1) समिति अपने सदस्यों की उपज को लाभकर दरों पर बेचने के निमित्त सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था अपने निजी अथवा अन्य उचित स्थान पर करेगी। वह एक या अधिक गोदाम स्वयं बनवायेगी अथवा किराये पर लेगी जिसमें सदस्यों की उपज जिसे वे समिति के ऋण के बदले बन्धक रखने तथा विना ऋण के भण्डारण हेतु लावें, रखी जायेगी। इन गोदामों में माल रखने के लिये समिति सदस्यों से वह उचित गोदाम भाड़ा लेगी जो समय-समय पर निर्धारित किया जाय। समिति बन्धक रखी गई उपज के वीमे का भी प्रबन्ध कर सकती है।

(2) संचालक मण्डल, वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति से गोदामों में माल रखने, उसकी सुरक्षा, माल छोड़ने, गोदाम भाड़ा तथा बीमा आदि से सम्बन्धित सहायक नियम बनायेगा।

लाभ वितरण

69- (1) (क) शुद्ध लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित निधि में डाला जायगा।

(ख) शुद्ध लाभ में से कम से कम 1 प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में डाला जायगा प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विशेष सहकारी वर्ष में अंशदान की जाने वाली धनराशि 2.5 लाख रुपये से अधिक हो तो यह समिति पर निर्भर होगा कि वह 2.5 लाख रुपये से अधिक धनराशि का अंशदान करे अथवा न करे।

(2) समस्त बकाया व्याज और वह सारा अर्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज उन सदस्यों से जिन पर ब्याज बकाया हो, डिविडेन्ड (लाभांश) तथा बोनस और समिति की विभिन्न निधियों में धन का विविधान करने हेतु वितरणीय लाभ निकालने के लिये शुद्ध लाभ से निकाल दिया जायगा।

(3) वितरणीय लाभ में से पन्द्रह प्रतिशत कृषि ऋण स्थिरता कोष (एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फण्ड) में डाला जायगा। (4) शेष वितरणीय लाभ, नियमों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर नौ प्रतिशत तक लाभांश का भुगतान ।

(ख) अशोध्द्य ऋण निधि, राष्ट्रीय रक्षा निधि, भवन निधि, ग्राम सुधार निधि, अवमूल्यन निधि, अंश संक्रमण निधि लाभांश सहकारी निधि के संगठन और अंशदान के लिये,

(3) चैरिटेबुल एन्डाउमेन्ट एक्ट 1892 की धारा 2 (क) में यथा पारिभाषित किसी दान के कार्यों (चैरिटेबुल पर्पज) पर व्यय करने के लिये अधिक से अधिक 5 प्रतिशत का दान ।

(4) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाने के लिये।

70- जो लाभांश चुकता न किया जावेगा उस पर समिति कोई व्याज न देगी।

71- जिस सदस्य पर अंश की कोई किरतें बाकी होंगी वह अपने अंश के चुकता धन पर लाभांश पाने का अधिकारी न होगा।

72 समिति द्वारा देय कोई धनराशि यदि इण्डियन लिमिटेड एक्ट के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर नहीं मांगी जाती तो वह समिति की रक्षित निधि में जोड़ दी जायगी।

लेखा पुस्तिका तथा रजिस्टर

73- (क) संचालक मण्डल समिति के कारोबार का सच्चा हिसाब-किताब इस ढंग से रखने का प्रबन्ध करेगा जिसे वह समिति के वास्तविक आर्थिक लेखा विवरण प्रदर्शित करने के लिए समय-समय पर उचित समझे। समिति के नियम उपधारा (1) के अधीन हिसाबकिताब ऐसे रजिस्ट्रों में और ऐसे ढंग से रखा जायगा, जिसे संचालक मण्डल आदेश दे ।

(ख) समिति के नियम के प्रयोजन के अतिरिक्त समिति किसी अभिलेख या लेखा पुस्तकों की छंटनी नहीं करेगी।

लेखा परीक्षा

74-समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार समिति के नियमों के अनुसार, निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जायगी।

रक्षित निधि

75- (1) समिति की रक्षित निधि को निबन्धक की स्वीकृति से उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जायेगा ।

(2) समिति के नियम के अधीन, रक्षित निधि अवितरणीय है और किसी सदस्य को उसके किसी विशेष हिस्से पर कोई दावा न होगा ।

विवादों का निबटारा

76- तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, समिति के संगठन प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में समिति के वेतनभोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न, कोई विवाद :

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावाकरने वाले व्यक्तियों के बीच, अथवा

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति, और समिति उसके संचालक मण्डल, समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं के बीच, अथवा

(ग) समिति उसके संचालक मण्डल और समिति के किसी भूतपूर्व संचालक मण्डल, किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच, अथवा

(घ) समिति और किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के बीच उत्पन्न हो,

तो वह अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिये निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

हानि का बट्टे खाते डाला जाना

77 - यदि समिति का कोई धन चोरी हो जाय अन्यथा अन्य प्रकार खो जाय जिसका वसूल होना असम्भव हो, अथवा यदि समिति का कोई ऋण पूरा या आंशिक रूप में वसूल होने योग्य न हो तो संचालक मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति प्राप्त कर उसे बट्टे खाते में डाल दे।

वित्त पोषण बैंक को निरीक्षण का अधिकार

78- वित्त पोषण बैंक को यह अधिकार होगा कि वह समिति की बहियों तथा लेखा-जोखा का निरीक्षण कर सके।

समिति में अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों का रखना

79- समिति अधिनियम, नियमावली तथा अपनी उपविधियों की एक प्रति हर उचित समय में बिना किसी फीस के निरीक्षण के लिये अपने निबन्धित कार्यालय में उपलब्ध रखेगी।

निर्वाचन नियम

80- संचालक मण्डल के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन राष्ट्रीय स्तर पर संचलित समिति के अधिनियम, नियमावली तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगा।

उपनियमों का अर्थ

81- यदि उपविधियों की किसी धारा के अर्थ के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो संचालक मण्डल ऐसे मामले को निबन्धक के पास भेजेगा और इस विषय में निबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।

राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर

ई-अन्नदाता कल्याण एवं विकास समिति

पता _____

क्र० सं०	पद का नाम	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	मोबाईल नं०	आधार नं० पैन नं०	फोटो	हस्ताक्षर
1	अध्यक्ष का नाम							
2	उपाध्यक्ष का नाम							
3	सचिव का नाम							
4	प्रबंधक संचालक का नाम							

5	कोषाध्यक्ष का नाम							
6	लेखाधिकारी का नाम							
7	को-ऑर्डिनेटर							
8	मीडिया प्रभारी							
9	कृषि सलाहकार							

10	कार्यकारी सदस्य							
11	कार्यकारी सदस्य							

घोषणा:- मैं एतत द्वारा घोषणा करता हूँ कि ई-अन्नदाता कल्याण एवं विकास समिति, के आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं समिति के नियमों और विनियमों और किसी भी कार्रवाई के संबंध में संगठन के निर्णय का पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं किसी भी क्षति के लिए संगठन को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी।

कोषाध्यक्ष ह०

प्रबंधक ह०

सचिव ह०

अध्यक्ष ह०